दिनांक 12–13 मार्च, 2018 को प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार की अध्यक्षता में राज्य के सभी निकायों के संबंधित नगर आयुक्तों/कार्यपालक पदाधिकारियों/प्रतिनिधियों के साथ हुई विभिन्न योजनाओं की समीक्षा बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति– उपस्थिति पंजी के अनुसार।

स्वच्छ भारत मिशन (SBM)

➢ समीक्षा बैठक में बताया गया कि पूर्वी चम्पारण, पश्चिमी चम्पारण एवं मुजफ्फरपुर में माननीय प्रधान मंत्री की यात्रा प्रस्तावित है, अतएव संबंधित नगर निकाय में IHHL, CT तथा इडिटिंग का कार्य अतिशीघ्र पूर्ण कराते हुए ODF की कार्रवाई किये जाने के साथ–साथ साफ–सफाई की भी व्यवस्था को दुरूस्त किया जाय। इसे गंभीरता से लिया जाय।

➢ मोतिहारी नगर निकाय के द्वारा बताया गया कि 10 सामुदायिक शौचालय के लिए निविदा निकाली गयी है। मोबाईल शौचालय की निविदा रद्द हो गयी है।

➢ ढाका नगर निकाय द्वारा बताया गया कि मात्र 260 व्यक्तिगत शौचालय का निर्माण कार्य पूर्ण कराया जाना है जो 31 मार्च तक पूर्ण हो जायेगा। सामुदायिक शौचालय के निर्माण हेतु निविदा निकाली गयी, जिसका निष्पादन 10 अप्रैल तक कर लिया जायेगा।

➢ सुगौली नगर निकाय में 3334 व्यक्तिगत शौचालय के विरूद्ध 2586 में निर्माण कार्य आरंभ है। इडीटिंग का कार्य भी यहाँ बचा हुआ है। सामुदायिक शौचालय हेतु निविदा निकाली गयी है। इडिंग का कार्य पूर्ण करते हुए दिनांक 31.03.2018 तक सारे शौचालय निर्माण का लक्ष्य पूर्ण करने का निदेश दिया गया।

➢ पकड़ी दयाल नगर निकाय में शौचालय की निर्माण की स्थिति संतोषजनक नहीं है। यहॉ 36 प्रतिशत ही कार्य हो पाया है। बताया गया कि 47 लोगों के पास शौचालय निर्माण हेतु जमीन उपलब्ध नहीं होने के कारण सामुदायिक शौचालय हेतु अभी तक टेण्डर भी निकाला नहीं गया है। अगली कैम्प में सभी को प्रथम किस्त का भुगतान करते हुए माह के अंत कर निर्माण कार्य पूर्ण कराने हेतु निदेशित किया गया।

➢ मेहसी नगर निकाय में 2350 व्यक्तिगत शौचालय निर्माण कार्य प्रारंभ है तथा 637 शेष है। साथ 108 मोबाईल टॉयलेट के लिए निविदा 10 दिनों में निकाली जानी है। अगली कैम्प में सभी को प्रथम किस्त का भुगतान करते हुए माह के अंत कर निर्माण कार्य पूर्ण कराने हेतु निदेशित किया गया।

➢ केसरिया नगर निकाय में व्यक्तिगत शौचालय निर्माण हेतु 500 शेष है। शीघ्र कार्य पूर्ण कराने का निदेश दिया गया। बताया गया कि 68 सामुदायिक शौचालय निर्माण हेतु टेण्डर किया गया है जिसे 5 अप्रैल तक टेण्डर कार्य पूर्ण कराने का निदेश दिया गया।

➢ मोबाईल टॉयलेट क्रय हेतु विभाग के मॉडल प्राक्कलन की राशि 64,471/– रूपये निर्धारित है। कुछ नगर निकाय द्वारा बताया गया कि सामुदायिक शौचालय का उक्त मॉडल प्राक्कलन की राशि कम है। उन नगर निकायों को मोबाईल शौचालय क्रय में विभागीय मॉडल प्राक्कलन राशि सीमा बढ़ाने हेतु लिखित रूप में विभाग से अनुरोध करने का निदेश दिया।

➢ बगहा नगर निकाय द्वारा की प्रगति काफी धीमा है तथा इस बैठक में पूर्व की ही प्रतिवेदन को दोहराया गया है। इनके धीमा प्रगति हेतु स्पष्टीकरण की मॉग की जाय।

➢ नरकटियागंज की प्रगति व्यक्तिगत शौचालय में मात्र 40% है। बताया गया कि सामुदायिक शौचालय हेतु 96 परिवारों के लिए टेण्डर निकाला गया है। 490 परिवारों के लिए जमीन खोजी जा चुकी है। कार्य में प्रगति लाने का निदेश दिया गया।

➢ चनपटिया नगर निकाय द्वारा बताया गया कि इस माह में व्यक्तिगत शौचालय का कार्य 100% पूर्ण करा लिया जायेगाा। सामुदायिक शौचालय हेतु T/S के लिए Buda को भेजा गया है जहॉ कनीय अभियंताओ समस्या बताई जा रही है। चनपटिया के नोडल पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि कार्यपालक अभियंता से बात करके शीघ्र T/S कराया जाय।

➢ मुजफ्फरपुर नगर निकाय द्वारा बताया गया कि इस माह में व्यक्तिगत शौचालय का कार्य 100% पूर्ण करा लिया जायेगाा। सामुदायिक शौचालय टेण्डर की प्रक्रिया में है, इसमें थोड़ा समय लगने की संभावना है।

➢ रक्सौल नगर निकाय द्वारा बताया गया कि पूर्व प्रतिवेदनानुसार बिना शौचालय के घरों की संख्या 2253 प्रतिवेदित थी जो इडिटिंग के बाद 1262 हो गया है। जिसमें से निर्माणाधीन एवं पूर्ण शौचालय की संख्या 987 बतायी गयी। मोबाईल टायलेट के लिए टेण्डर निकाला गया है। निदेश दिया गया कि व्यक्तिगत शौचालय के निर्माण कार्य को इस माह के अंत तक पूर्ण कराये तथा मोबाईल टॉयलेट(स्टील) का टेण्डर शौचालय की संख्या के आधार पर निकाली जाय।

➢ कॉटी नगर निकाय में लक्ष्य 4497 में से 1407 घर से आच्छादित है। शीघ्र सभी को प्रथम किस्त का भुगतान करें तथा ऑन लाईन में यदि कोई परेशानी हो तो ऑफ लाईन कार्यादेश निर्गत करें।

➢ ODF की स्थिति निम्न प्रकार है :–

पटना नगर निगम में चलंत शौचालय का अभी तक निविदा प्रकाशित नहीं की गयी है। बताया गया कि 30 जून तक ODF की जायेगी। बाढ़ नगर निकाय में व्यक्तिगत शौचालय के निर्माण लक्ष्य कम करते हुए पुनरिक्षित किया गया है। सामुदायिक शौचालय का अभी तक निविदा प्रकाशित नहीं की गयी है। बताया गया कि सामुदायिक शौचालय के साथ 30 जून तक ODF की जायेगी। बख्तियारपुर नगर निकाय में व्यक्तिगत शौचालय के निर्माण लक्ष्य इडिटिंग के बाद कम करते हुए 3422 के स्थान पर 2800 किया है। छपरा नगर निकाय में सामुदायिक शौचालय के साथ 30 जून तक ODF किया जाय। फतुहा नगर निकाय में लगभग 200 व्यक्तिगत शौचालय को निर्माण कराया जाना है तथा सामुदायिक शौचालय हेतु स्थान की अनुपलब्धता के कारण चलंत शौचालय हेतु टेण्टर किया जाना है। शीघ्र टेण्टर प्रकाशित करते हुए 30 अप्रैल तक ODF किया जाय। छपरा नगर निकाय में सामुदायिक शौचालय के साथ 30 अप्रैल तक ODF किया जाय। जमालपुर नगर निकाय में व्यक्तिगत शौचालय का निर्माण कार्य 100% पूर्ण हो गया है, चलंत शौचालय हेतु निविदा प्रकाशन में है। निविदा प्रकाशित करते हुए 31 मार्च तक ODF किया जाय। खगड़िया नगर निकाय में 30 अप्रैल तक ODF हेतु लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मोकामा नगर निकाय में 20 सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराया जाना है। 31 मई तक ODF हेतु लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सुलतानगंज नगर परिषद द्वारा बताया गया कि शौचालय रहित 5274 घरों में निर्माणाधीन एवं पूर्ण शौचालय की संख्या 5225 है। शेष सामुदायिक शौचालय के जमीन हेतु अंचलाधिकारी को पत्र लिखा गया है। निदेश दिया गया कि यदि जमीन उपलब्ध नहीं हो रहा है तो चलंत शौचालय की व्यवस्था करते हुए 30 जून तक ODF किया जाय। बड़हिया नगर पंचायत को व्यक्तिगत शौचालय हेतु इस माह में शत प्रतिशत कार्यादेश निर्गत करने तथा 31 मई तक ODF करने का निदेश दिया गया। दिघवारा को अप्रैल के अंत तक ODF करने का निदेश दिया गया। कहलगॉव में व्यक्तिगत शौचालय के सर्वे में इडिटिंग किया जाना शेष है। सामुदायिक शौचालय हेतु टेण्डर किया गया है। व्यक्तिगत शौचालय तथा सामुदायिक शौचालय का निर्माण कार्य इस माह के अंत कर शत प्रतिशत पूर्ण कराते हुए 30 जून तक ODF किया जायेगा। नौबतपुर, तेघड़ा एवं भागलपुर में 31 मई 2018 तक ODF का लक्ष्य रखा गया है।

➢ फुलवारीशरीफ, बाढ़, खगौल, नासरीगंज, पीरो, जगदीशपुर, मोहनिया, ढाका, बेतिया, मैरवा, समस्तपुर, जनकपुर रोड, आरंगाबाद, दाउदनगर, रफीगंज, नवादा, हिसुआ, बिहारशरीफ इत्यादि 19 वैसे नगर निकाय जो अच्छी स्थिति में है, उसकी समीक्षा की गयी तथा 31 मार्च 2018 तक ODF करने का निदेश दिया गया।

➢ जिन नगर निकायों में अभी तक सर्वे का कार्य चल रहा है, उसे शीघ्र पूरा कर ऑन लाईन इडिटिंग कराकर प्रगति प्रतिवेदन से शीघ्र विभाग को अवगत अवगत कराया जाय। साथ ही जिले के प्रभारी नोडल पदाधिकारी इसे Follow up करें।

➢ जिन लाभार्थी के पास जमीन नहीं है उन्हें सामुदायिक शौचालय उपलब्ध कराया जाय। सामुदायिक शौचालय हेतु जहॉ अभी तक टेण्डर प्रकाशित नहीं हुआ है वैसे नगर निकाय में शीघ्र टेण्डर प्रकाशित कर अग्रेत्तर कार्रवाई की जाय।

➢ समीक्षा बैठक में बताया गया कि सामुदायिक शौचालय की स्थिति बहुत दुखद है। निदेश दिया गया कि सामुदायिक शौचालय निर्माण हेतु अपेक्षित जमीन के लिए शीघ्र अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने की कार्रवाई की जाय। जमीन उपलब्ध नहीं हो पाने की स्थिति में मोबाईल टॉयलेट अथवा बॉयो–डाइजेस्टर उपयोग में लाया जा सकता है।

➢ SWM –: ठोस कचड़ा प्रबंधन अन्तर्गत Land Fill Site को चिन्हित कर परियोजना बनाने का निदेश दिया गया गया। जानकारी दी गयी कि जिनके पास Land Fill Site हेतु जमीन नहीं है वे सरकारी भूमि की उपलब्धता हेतु संबंधी जिलाधिकारी को पत्र लिखा जाय अथवा निजी जमीन का क्रय/लीज किया जा सकता है। Decentralized Composting के लिए जमीन हेतु पार्क, खुला जमीन को चिन्हित करें। सर्वे कर घर से कवाड़ी इकट्ठा करने वाले की सूची बना लें साथ ही थोक कबाड़ीवाले को भी चिन्हित करें। सूखे एवं गिले कचरे का Composting मुजफ्फरपुर, बोधगया तथा मुंगेर में हो रहा है, सुविधानुसार यहॉ के मॉडल को अपनाते हुए मुंगेर, भागलपुर, डूमराव एवं बक्सर में Composting Pit का निर्माण कराया जाय। SBM योजना के प्रचार प्रसार हेतु IEC में रशि विमुक्त की जा रही है।

➢ लौहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत 2–8 अप्रैल 2018 के बीच स्वच्छाग्रही पूरे देश में पंचायतवार कार्य करेगी।

➢ चकिया, रक्सौल, अरेराज, के प्रतिनिधि बैठक से अनुपस्थित है।

(अनुपालन– नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी/नोडल पदाधिकारी)

AMRUT

AMRUT योजनान्तर्गत पार्क निर्माण एवं जलापूर्ति योजनाओं की समीक्षा की गई, स्थिति निम्नवत् है।

पार्क निर्माण योजना :–

➢ कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, हाजीपुर द्वारा बताया गया कि पार्क निर्माण/विकास हेतु जिलाधिकारी/महाप्रबंधक, रंलवे से समन्वय स्थापित कर दो पार्क के स्थल का चयन किया जा रहा है। प्रधान सचिव द्वारा स्थल चयन में तेजी लाने का निर्देश दिया गया।

➢ कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, बक्सर द्वारा बताया गया कि पार्क निर्माण अन्तर्गत earthwork का कार्य चल रहा है। निदेश दिया गया कि Non-scheduled items के quotation हेतु प्रक्रिया पूरी की जाय।

➢ नगर निगम, बेगूसराय के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि धार्मिक न्यास परिषद, द्वारा पार्क निर्माण हेतु NOC नहीं दिया गया है। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि धार्मिक न्यास परिषद् की आपत्ति के आलोक में standing committee द्वारा Resolution पारित किया गया है। NOC प्राप्त करने हेतु कार्रवाई की जा रहा है।

➢ निगम आयुक्त, नगर निगम, मुंगेर द्वारा बताया गया कि SAAP-I के अन्तर्गत पार्क निर्माण हेतु चौथी बार हुई निविदा में प्रथम बार एकल निविदाकार को तकनीकी निविदा में सफल घोषित किया गया है। उनके द्वारा बताया गया कि इस योजना की पुनर्निविदा की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। SAAP-II से संबंधित 3 पार्को के Technical sanction के प्राक्कलन की जाँच अभियंत्रण कोषांग द्वारा की जा रही है। उनके द्वारा बताया गया कि पार्क की नई योजना विचाराधीन नहीं है।

➢ नगर आयुक्त, आरा नगर निगम द्वारा बताया गया कि SAAP-I एवं SAAP-II में स्वीकृत पार्क योजना का कार्य प्रकति में है। नगर आयुक्त, आरा को SAAP-III के अन्तर्गत पार्क का DPR तुरंत समर्पित करने का निदेश दिया गया।

➢ नगर आयुक्त, नगर निगम बिहारशरीफ के द्वारा बताया गया कि SAAP-I अन्तर्गत स्वीकृत पार्क में मिट्टी का कार्य प्रगति में है। उनके द्वारा SAAP-II एवं SAAP-III के अन्तर्गत स्वीकृत पार्क हेतु site selection किए जाने की बात कही गई। प्रधान सचिव द्वारा तुरंत site selection कर DPR समर्पित करने का का निदेश दिया गया।

➢ नगर आयुक्त, नगर निगम, दरभंगा द्वारा बताया गया कि SAAP-I के अन्तर्गत स्वीकृत पार्क का एकरारनामा हो चुका हैं उनके द्वारा एक और पार्क हेतु DMCH, दरभंगा द्वारा NOC दिये जाने की बात कही गई। प्रधान सचिव द्वारा तुरंत DPR समर्पित करने का निदेश दिया गया।

➢ नगर आयुक्त, नगर निगम, छपरा द्वारा SAAP-I के अन्तर्गत स्वीकृत पार्क के निर्माण में अभी तक 42 लाख खर्च होने की बात कही गयी। अन्य दो पार्क हेतु जमीन अपलब्ध नहीं होने की बात कही गई।

➢ कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, जहानाबाद को पार्क निर्माण/विकास का DPR अविलम्ब समर्पित करने का निदेश दिया गया।

Amishra

➢ कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, सहरसा द्वारा बताया गया कि SAAP-I के अन्तर्गत स्वीकृत पार्क की निविदा आमंत्रित की गयी है।।

➢ नगर आयुक्त, नगर निगम, भागलपुर को SAAP-I के अन्तर्गत बनने वाले लाजपत पार्क की निविदा में भाग लेने वाले निविदाकारों से Bid validity period के extension हेतु सहमति पत्र अविलम्ब प्राप्त कर समर्पित करने का निदेश दिया गया। लाजपत पार्क का निर्माण Smart City के प्रस्ताव में है अथवा नही, इस पर भी प्रतिवेदन समर्पित करने का निदेश दिया गया।

➢ प्रधान सचिव द्वारा नगर आयुक्त, नगर निगम, मुजफ्फरपुर को निदेश दिया गया कि AMRUT के अन्तर्गत पार्क योजना का DPR अविलम्ब समर्पित किया जाय। सिकन्दरपुर मन में पार्क निर्माण का प्रस्ताव Smart City योजना में सम्मिलित है अथवा नहीं, इस संबंध में प्रतिवेदन समर्पित करने का निदेश दिया गया।

➢ कार्यपालक पदा०, नगर परिषद्, दानापुर द्वारा बताया गया कि AMRUT के अन्तर्गत पार्क हेतु स्थल उपलब्ध नहीं है।

➢ नगर निगम, पटना के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि SAAP-III के अधीन बाँकीपुर अंचल अन्तर्गत वार्ड न०–38 में समादार पार्क का प्राक्कलन समर्पित किया गया है। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि SAAP-I एवं SAAP-II (amalgamated) अन्तर्गत पाक निर्माण कार्य में कोई बाधा नहीं है। पार्क निर्माण शुरू होने पर Hindrance हटा दिया जाएगा। प्रधान सचिव महोदय द्वारा वन एवं पर्यावरण विभाग के प्रधान सचिव को इस आशय का पत्र देते हुए कार्य अविलम्ब शुरू कराने हेतु अनुरोध करने का निदेश दिया गया।

➢ नगर आयुक्त, नगर निगम, गया द्वारा बताया गया कि SAAP-I के अन्तर्गत पार्क निर्माण हेतु पुनर्निविदा में प्राप्त Technical Bid खोलकर निष्पादन हेतु मुख्यालय भेजा गया है।

➢ कार्यपालक पदा०, नगर पंचायत बोधगया को पुनः निदेश दिया गया कि AMRUT पार्क की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने हेतु अविलम्ब प्राक्कलन समर्पित किया जाय।

➢ प्रधान सचिव द्वारा सभी नगर निकायों को निदेश दिया गया कि सभी पार्क योजनाओं के Non-scheduled items के कोटेशन हेतु प्रक्रिया अविलम्ब आरम्भ की जाय ताकि पार्क योजना के कार्यान्वयन में विलम्ब न हो।

<u>जलापूर्ति योजना :–</u>

कार्यपालक अभियंता, BRJP द्वारा बताया गया कि हाजीपुर जलापूर्ति योजना फेज–1 में प्रावधानित 64.830 km के विरूद्ध अभी तक 27.239 km पाईप बिछाया गया है तथा 16 Household connection किया गया है।

कार्यपालक अभियंता, BRJP द्वारा बताया कि बक्सर जलापूर्ति योजना, फेज–1 में प्रावधानित 57.563 km के विरुद्ध 21.298 km पाईप बिछाया गया है। उनके द्वारा बताया गया कि 74 Household connection किया गया है।

➢ कार्यपालक अभियंता, BRJP द्वारा बताया गया कि छपरा जलापूर्ति योजना फेज –1 में प्रावधानित 72.985 km के विरूद्ध अभी तक 22.161 km पाईप बिछाया गया हैं। उनके द्वारा बताया

गया कि 15 Household Connection किया गया है। प्रधान सचिव द्वारा Household Connection के कार्य में भी तेजी लाने का निदेश दिया गया।

➢ कार्यपालक अभियंता, BRJP द्वारा बताया गया कि बगहा जलापूर्ति योजना फेज–1 में प्रावधानित 46.548 km के विरूद्ध अभी तक 15.943 km पाईप बिछाया गया है। उनके द्वारा बताया गया कि अभी तक 134 Household Connection किया गया है।

➢ कार्यपालक अभियंता, BRJP द्वारा बताया गया कि जहानाबाद जलापूर्ति योजना फेज–1 में प्रावधानित 37.002 km के विरूद्ध अभी तक 11.425 km पाईप बिछाया गया है। उनके द्वारा बताया गया कि अभी तक 81 Household Connection किया गया है।

➢ कार्यपालक अभियंता, BRJP द्वारा बताया गया कि मोतिहारी जलापूर्ति योजना फेज–1 में प्रावधानित 56.909 km के विरूद्ध अभी तक 5.170 km पाईप बिछाया गया है। उनके द्वारा बताया गया कि अभी तक 11 Household Connection किया गया है।

➢ कार्यपालक अभियंता, BRJP द्वारा बताया गया कि सिवान जलापूर्ति योजना फेज–1 में प्रावधानित 49.738 KM के विरूद्ध अभी तक 40.088 KM पाइप बिछाया गया है। उनके द्वारा बताया गया कि अभी तक सिवान में Household Connection शुरू नहीं किया गया है।

➢ प्रधान सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि जलापूर्ति योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लायी जाय।

➢ नगर निकायों द्वारा बताया गया कि पाईप लाईन बिछाने के क्रम में Restoration का कार्य नहीं कराया जा रहा है। प्रधान सचिव द्वारा Restoration कार्य को अविलंब पूरा कराने का निदेश दिया गया ताकि भविष्य में किसी प्रकार की दुर्घटना से बचा जा सके।

➢ BRJP द्वारा बताया गया कि AMRUT योजना अन्तर्गत बेतिया, डेहरी, सासाराम, कटिहार एवं पूर्णिया जलापूर्ति योजना फेज–1 का LoA निर्गत हो चुका है। प्रधान सचिव द्वारा अविलम्ब Agreement कर कार्य आरंभ कराने का निदेश दिया गया।

➢ यह भी निदेश दिया गया कि BRJP पदाधिकारियों एवं ULB के पदाधिकारियों के बीच नगर निकाय में नियमित साप्ताहिक बैठक सुनिश्चित किया जाय।

(अनुपालन– संबंधित नगर आयुक्त/कार्यपालक पदा०/BRJP/अभियंत्रण कोषांग/नोडल पदा०/प्रशाखा पदाधिकारी–03)

Amshu

Housing for All

HFAPOA

➢ सभी नगर निकाय में Plan of Action एवं Annual Implementation Plan के लिए पूरे राज्य में बनाये गये विभिन्न जिलों के कलस्टरों के परामर्शी संस्था के प्रतिनिधि समीक्षा बैठक में उपस्थित हुए। समीक्षा में पाया गया कि शाहपुर में HFAPOA बोर्ड से अनुमोदन हेतु लंबित है। यहॉ MIS Entry एक साल से लंबित है। एकमाबाजार में सत्यापन का कार्य प्रक्रियाधीन बताया गया है, मार्च के अन्त तक इसे पूर्ण कराने का निदेश दिया गया। हिलसा, सिलाव में HFAPOA बोर्ड से अनुमोदन हो चुका है। राजगीर में कार्य धीमा है यहॉ कार्यपालक पदाधिकारी नये आये हैं। आरा के परामर्शी संस्था के प्रतिनिधि नगर निकाय में जाकर बोर्ड की बैठक करावें। कोआथ में बताया गया कि वहॉ के डाटा ऑपरेटर के काफी दिनों से बनारस गये हुए है, निदेश दिया गया कि शीघ्र ही बनारस से फार्म मंगा कर कार्य पूर्ण कराया जाय। विक्रमगंज में बोर्ड नहीं है, वहॉ प्रशासक(अनुमंडलाधिकारी) से कार्य कराया जाय। बक्सर में सत्यापन का कार्य चल रहा है। भभुआ में डाटा अनुमोदित हो गया है, किन्तु कार्यपालक पदाधिकारी चुनाव में व्यस्त है, कार्यपालक पदाधिकारी से बात कर कार्य में प्रगति लायी जाय। फतुहा में वार्ड सभा हो रहा है, शीघ्र ही बोर्ड से पारित कराकर भेज दी जायेगी। मसौढ़ी में वार्ड सभा हो गया है, बोर्ड की बैठक बुलाई गयी है। बाढ़ के प्रतिवेदन में सत्यापन का कार्य पूर्ण दिखाया जा रहा है, जबकि वहॉ के कार्यपालक पदाधिकारी का कथन है वहॉ सत्यापन का कार्य अभी भी अपूर्ण है, शीघ्र पूर्ण कराने का निदेश दिया गया। खगौल में प्रारूप जमा किया गया है। नवादा में स्थिति अच्छी नहीं है। कहलगॉव के कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि रोस्टर बनाकर उनके द्वारा भेजा गया है, रोस्टर निर्माण के उपरांत भी कार्य आरंभ नहीं किये जाने वाले एजेंसी से स्पष्टीकरण मॉगी जाय।

➢ समीक्षा में पाया गया कि सबके लिए आवास योजनान्तर्गत अधिकांश निगर निकाय द्वारा एक वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो जाने के बाद भी संबंधित परामर्शी संस्था से HFAPoA एवं AIP तैयार कराकर अपने नगर निकाय के बोर्ड से पारित करा कर विभाग में नहीं भेजा गया है, जो अत्यंत ही चिंता का विषय है। उल्लेखनीय है कि आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त पत्र के अनुसार HFAPoA मद में प्राप्त राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र 31.03.2018 तक निश्चित रूप से भारत सरकार को भेजा जाना है, अन्यथा HFAPoA मद में विमुक्त राशि का समायोजन भारत सरकार द्वारा अन्य मद में कर दिया जायेगा। जिन नगर निकायों में HFAPoA का कार्य जनवरी, 2017 से प्रारंभ करने हेतु परामर्शी संस्था को कार्यादेश दिया गया है वैसे निकाय का HFAPoA तथा AIP बोर्ड से पारित कराकर मार्च, 2018 के अन्त तक निश्चित रूप से भेज दिया जाय तथा जिन नगर निकाय में जून, 2017 के बाद परामर्शी संस्था को कार्यादेश दिया गया

है उस नगर निकाय का HFAPoA तथा AIP बोर्ड से पारित कराकर हर हाल में 30.04.2018 तक विभाग में भेज दिया जाय।

➢ HFA योजना का भौतिक एवं वित्तीय स्थिति की समीक्षा में पाया गया कि अधिकांश नगर निकाय लाभुकों को आवासीय ईकाई निमार्ण की स्थिति संतोषजनक नहीं है। कुछ नगर नगर निकायों द्वारा अभी तक प्रथम किस्त की विमुक्ति का प्रतिशत शून्य है। साथ ही अधिकांश नगर निकायों में स्वीकृत लाभुकों का भारत सरकार के portal पर DPRA से संबद्ध नहीं किया गया है। फलस्वरूप भारत सरकार द्वारा राशि विमुक्त नहीं किया जा रहा है। अधिकांश नगर निकायों द्वारा बार बार निदेश देने के बावजूद स्वीकृत सभी आवासीय इकाईयों में निर्माण कार्य प्रारंभ कराने अथवा किसी कारण से निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हो सकने वाले आवासीय इकाईयों का प्रत्यर्पण नहीं किया गया है। इस संबंध में पिछली बैठक में सभी नगर निकाय को राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय समाचार पत्रों के स्थानीय संस्करण में विज्ञापन प्रकाशित कर लाभुकों को सूचित करने का निदेश दिया गया था, परन्तु इसका अनुपालन भी अधिकांश नगर निकायों द्वारा नहीं किया गया है। निदेश का अनुपालन नहीं करने वाले नगर निकायों को चिन्हित करके उनसे इस संबंध में स्पष्टीकरण प्राप्त करने का निदेश दिया गया। साथ ही जिस नगर निकाय में अब तक प्रथम किस्त का विमुक्ति शून्य है उनके विरूद्ध प्रपत्र 'क' कठित करने का निदेश दिया गया।

➢ **उपयोगिता प्रमाण पत्र** – नगर निकायों द्वारा व्यय की गयी राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं भेजने के कारण राशि की निकासी हेतु CTMS से विपत्र का नहीं Generation नहीं हो पा रहा है। सभी नगर निकायों को निदेश दिया गया कि सभी लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र एक सप्ताह के अन्दर निश्चित रूप से विभाग में जमा करा दें।

➢ **RAY(Rajiv Awas Yojna)** – पटना नगर निगम, दरभंगा नगर निगम, कटिहार नगर निगम तथा पूर्णिया नगर निगम में इस योजना में अभी भी काफी आवासीय इकाई में निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं कराया जा सका है। यह स्थिति अत्यंत चिंताजनक है। सभी Non stated आवासीय इकाई में निर्माण कार्य प्रारंभ कराने का निदेश दिया गया। आधारभूत संरचना मद में भी सभी कार्यो को शीघ्र प्रारम्भ कराने का निदेश दिया गया।

➢ **IHSDP** – इस योजनान्तर्गत बेलसंड नगर निकाय से राशि का प्रत्यर्पण किया गया है। ठाकुरगंज तथा मुंगेर में लंबित कार्य को शीघ्र पूर्ण कराने का निदेश दिया गया। पूर्व में कई बार बताया जा चुका है कि यह योजना 31/03/2017 को समाप्त कर दी गयी है, इसमें आगे अब कोई काम नहीं करना है तथा जो काम नहीं हुआ है उसकी राशि वापस कर दी जाय। राज्य

योजना को भी बन्द कर राशि डिपोजिट हेड में जमा करा दिया जाय। चालू योजना में अब राशि नहीं मिलेगी।

(अनुपालन– नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी/नोडल पदाधिकारी)

DAY-NULM

➢ बताया गया कि नीति आयोग द्वारा पूरे देश में 115 पिछड़े जिलों में से बिहार के 13 जिले (कटिहार, बेगुसराय, शेखपूरा, अररिया, सीतामढ़ी, खगड़िया, पूर्णिया, औरंगाबाद, बाँका, गया, जमुई, मुजफ्फरपुर तथा नवादा) को चिन्हित किया गया है। योजना का इन जिलों में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। निदेश दिया गया कि इन जिलों का हर महीने अलग से समीक्षा की जाये।

➢ Social Mobilisation & Institution Development **घटक** :– अधिकांश स्थानों में SHGs निर्माण की संख्या लक्ष्य से काफी कम है। SHGs की संख्या बढ़ाया जाय तथा जहाँ SHGs का निर्माण हुआ है वहॉ MIS ENTRY करवाया जाय ताकि Achievement प्रदर्शित हो सके। SHGs को दिये जाने वाले Revolving Fund की संख्या भी अधिकांश नगर निकायों में शून्य है। अतएव Revolving Fund तथा ALOs को पंजीकृत करने में प्रगति लायी जाय।

➢ **EST&P घटक :** समीक्षा में बाजार माँग के अनुसार रोजगारपरक कोर्स यथाः– प्लम्बरिंग, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डिंग, हेल्थ केयर, जेनरल ड्यूटी असिस्टेंट, फेबरीकेशन, आउटोमेटिव, रिटेल सेल्समैन, ए०सी/कुलर, ब्यूटी थेरिपस्टि, डेंटल टेक्नीशियन, मोबाइल/सी०सी०टी०वी० कैमरा रिपेयर, नर्सरी, कम्पोस्टिंग/वर्मी कम्पोस्टींग तथा बांस निर्मित उत्पाद आदि में प्रशिक्षण दिये जाने की आवश्यकता महसूस की गयी। नगर निकाया द्वारा इस सबंध में विभाग को प्रस्ताव भेजा जाय। समीक्षा में पाया कि वर्ष 2017–18 में निर्धारित लक्ष्य 5000 में से 2554 को प्रशिक्षित किया गया है जिसमें 1535 को प्रशिक्षण प्रमाण दिया गया है तथा मात्र 939 को ही रोजगार उपलब्ध कराया गया है। निदेश दिया गया कि प्रशिक्षणार्थियों को रोजगार दिलाने में भी सहयोग किया जाय। वैसे नगर निकायों में जहाँ बिहार कौशल विकास मिशन अन्तर्गत एस०डी०सी० की सूची भेजी गयी है, वहॉ संस्थाओं के साथ एकरारनामा कर शीघ्र विभाग में प्रतिवेदन भेजें तथा प्रशिक्षण कार्य आरंभ कराया जाय। साथ ही, प्रशिक्षण कार्य हेतु व्यय राशि का भुगतान पूरी प्रक्रिया अपनाते हुए एस०डी०सी० को एक माह के अन्दर कर दें। वैसे प्रशिक्षण प्रदाता ऐजेंसी जो अपने कार्य में रूचि नहीं ले रहे हैं उनका एकरारनामा रद्द करते हुए उन्हें वापस दिया गया।

➢ **आश्रम स्थल योजना (SUH)** – शहरी निराश्रितों के लिए आश्रय स्थल योजना के अधीन नवनिर्मित आश्रय स्थल का संचालन प्रारंभ करना सुनिश्चित किया जाय। आरा, बिहारशरीफ, बक्सर, छपरा, दरभंगा, गया, किशनगंज, नवादा, पूर्णिया सासराम, शेखपुरा, सीतामढ़ी आदि निकायों में आश्रय स्थल निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है, वहॉ शीघ्र उद्घाटन कराकर संचालित कराया जाय। औरंगाबाद, बेगुसराय, गोपालगंज, मोतिहारी, मुंगेर, पटना समस्तीपुर, सहरसा, शिवहर एवं सीवान में एक–एक आश्रम स्थल स्वीकृत है किन्तु निर्माण कार्य में प्रगति शून्य है। निदेश दिया गया कि मार्च के अन्त तक निर्माण कार्य आरंभ करायी जाय। आश्रय स्थल निर्माण हेतु निविदा प्रक्रिया इलेक्ट्रीफिकेशन एवं सेनीटेशन को साथ ही रखा जाय। आश्रम स्थल निर्माण हेतु वैसे नगर निकाय जहाँ जमीन उपलब्ध नहीं हो पा रहा है वे राशि को वापस कर दें। ऐसे आश्रम स्थल जहाँ–जहाँ

अतिक्रमण है उसे मुक्त कराने का निदेश दिया गया। नगर निमम पटना में कुल 18 स्वीकृत आश्रम स्थल में से मात्र 2 क्रियाशील है, 2 में नवीनीकरण का कार्य पूर्ण हो गया है एवं 14 आश्रम स्थल का नवीनीकरण होना अभी बाकी है। इस संबंध में पटना नगर निगम को स्पष्टीकरण की माँग की जाय कि क्यों नहीं अभी तक आश्रम स्थलों के नवीनीकरण हेतु निविदा आमंत्रित की गयी तथा विलंब के लिए क्यों कि योजना की राशि वापस ले ली जाय। साथ ही, यह भी शिकायत मिली है कि पटना नगर निगम अन्तर्गत मलाही पकड़ी स्थित आश्रम स्थल की स्थिति बिलकुल खराब है, दो दिनों के अन्दर इसकी जाँच कर प्रतिवेदन से विभाग को अवगत करायी जाय। वैसे नगर निकाय जहाँ आश्रमविहीन का सर्वे किया जाना है, शीघ्र सर्वे कर विभाग को प्रतिवेदन से अवगत करावें। नगर निगमों/परिषदों में नये/अतिरिक्त आश्रय स्थल के निर्माण हेतु स्थल चयन कर प्रस्ताव विभाग को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

➢ **शहरी फुटपाथ विक्रेताओं को सहायता (SUSV):** शहरी फुटपाथ विक्रेताओं को सहायता घटक के अधीन नगर निकायों को वेंडिंग जोन निर्माण हेतु स्थल का चयन कर प्राक्कलन इत्यादि के साथ प्रस्ताव विभाग को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

➢ **SEP घटक :** ऋण आवेदन वित्त पोषण हेतु बैंकों में भेजा जाय। Task Force का प्रत्येक माह बैठक करके ऋण आवेदन बैठक में पारित करके ऋण आवेदनों को बैंक में भेजा जाय। साथ ही बैंकों से समन्वय स्थापित करके ऋण आवेदनों का निष्पादन कराया जाय।

जिस नगर निकाय में SMID तथा SEP धटक में प्रगति शून्य है उन नगर निकायों से स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया। Team leader SMMU को निदेश दिया गया है कि शून्य प्रगति वाले नगर निकायों के SMMU को चिन्हित किया जाय तथा उनसे स्पस्टीकरण प्राप्त कर आवश्यक कार्रवाई करें।

(अनुपालन– नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी/नोडल पदाधिकारी)

नली गली योजनाः–

निकायवार प्रगति की समीक्षा निम्न प्रकार हैः–

1. दानापुर– 40 में से 32 योजना में कार्य take up किया गया है। 03 योजना पूर्ण हो गया है। 08 योजना का निविदा निकाला गया है। कनीय अभियंता की कमी है।
2. मसौढ़ी– सभी वार्ड को take up कर लिया गया है। MIS entry किया जाय।
3. बख्तियारपुर– सभी वार्ड में कार्य प्रारंभ है। 02 वार्ड का कार्य पूर्ण हो गया है। जो कार्य शेष रह गया है उसे वार्ड सभा से पास कराकर कार्य कराया जाय।
4. बक्सर– 34 वार्ड में से 10 वार्ड का कार्य पूर्ण हो गया है।
5. नवीनगर– सभी वार्ड का निविदा निकाला जा चुका है।
6. मरौढ़ा– सभी वार्ड का निविदा निकाला जा चुका है। 14 वार्ड में कार्य पूर्ण हो गया है।

7. सोनपुर– सभी वार्ड का निविदा निकाला जा चुका है।
8. गोपालगंज– सभी वार्ड का निविदा निकाला जा चुका है। 11 वार्ड में कार्य पूर्ण हो गया है।
9. मोतीपुर– 15 वार्ड में 12 वार्ड में कार्य प्रारंभ है। 03 वार्ड का निविदा निकाला गया है।
10. सीतामढ़ी– सभी वार्डों का निविदा निकाला जा चुका है।
11. शिवहर– सभी वार्ड का निविदा निकाला जा चुका है।
12. मोतिहारी– 36 वार्ड का निविदा निकाला जा चुका है। 02 वार्ड में कार्य पूर्ण हो चुका है। MIS entry किया जाय।
13. रक्सौल– 26 में से 20 वार्ड का निविदा निकाला गया है। 06 वार्ड में NIT में गड़बड़ी के कारण पुनर्निविदा निकाला जाना है।
14. केसरिया– सभी वार्ड का निविदा निकाला जा चुका है।
15. महुआ– 16 वार्ड में से 04 वार्ड का निविदा निकाला गया है। 01 पूर्ण हो गया है। 12 वार्ड का निकाला जा रहा है। कार्य में प्रगति लाया जाय।
16. बेनीपुर– 29 वार्ड में 21 योजना पूर्ण हो गया है। शेष का निविदा निकाला जा रहा है।
17. घोघरडीहा– 18 योजना का निविदा निकाला गया है।
18. रोसड़ा– एक सप्ताह में सभी योजना का निविदा निकाल दिया जाएगा।
19. बरवीघा– 31 योजना का निवदिा निकाला गया है जिसमें 25 पूर्ण हो गया है।
20. गोगरी जमालपुर– 20 वार्ड निविदा की प्रक्रिया में है।
21. बीहट– 28 वार्ड में निविदा निकाला जा चुका है। 02 वार्ड रेलवे कॉलोनी है।
22. कहलगॉव 17 मेंसे 14 वार्ड का निविदा निकाला जा चुका है।
23. मनिहारी– सभी वार्ड का निविदा निकाला जा चुका है।
24. सहरसा– सभी वार्ड का निविदा निकाला जा चुका है।

(अनुपालन– कार्यपालक पदाधिकारी/नोडल पदाधिकारी।)

<u>हर घर नल का जल</u> –

निकायवार योजना की समीक्षा निम्नवत हैं:–

1. कोचस – 16 वार्ड में से 07 वार्ड की निविदा कर कार्यादेश निर्गत किया गया है। 09 वार्ड में PHED का पाईप बिछा हुआ है जिसे हस्तांतरित किया जाना है। कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि निकाय में कनीय अभियंता सिर्फ एक दिन ही आकर कार्य करते हैं।
2. नासरीगंज – 08 वार्ड की निविदा निकाली गई जिसमें 04 वार्ड में कार्य प्रारंभ है। 06 वार्ड में PHED के द्वारा 2006 में निर्मित टावर से गृह जल संयोजन करना है।

3. नोखा– 15 वार्ड में से 07 वार्ड का निविदा निकाला गया है। 01 में कार्य प्रारंभ है। 08 वार्ड में PHED द्वारा पूर्व में निर्मित किए गए जलापूर्ति योजना से गृह जल संयोजन करना है।
4. नरकटियागंज – 23 वार्ड में से 05 वार्ड का निविदा निकाला गया है। कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि कनीय अभियंता निकाय में नहीं जाते हैं इसलिए कार्य प्रभावित हो रहा है। उक्त नगर निकाय में 4 कनीय अभियंता कार्यरत रहने के बावजूद कार्य में प्रगति नहीं रहने पर खेद व्यक्त किया गया। निदेश दिया गया कि जिला पदाधिकारी को इस संबंध में अवगत कराया जाय।
5. चनपटिया– 15 में से 04 वार्ड का निविदा निकाला गया। 03 वार्ड में कार्य प्रारंभ है। कनेक्शन हेतु मैटेरियल लाया जा रहा है। शीघ्र ही कनेक्शन प्रारंभ हो जाएगा। कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा राशि की कमी बताया गया है। निदेश दिया गया कि निविदा प्रकाशित कर दिया जाय विभाग द्वारा राशि उपलबध करा दिया जाएगा।
6. बैरगैनिया– 21 में से 08 वार्ड का निविदा निकाला गया है पर सफल नहीं हुआ है। 13 वार्ड का डुडा में प्राक्कलन तैयार कर भेजा गया है। सभी वार्ड हेतु निविदा प्रकाशित करने का निदेश दिया गया है।
7. बखरी– 20 वार्ड में 07 वार्ड का निविदा निकाला गया है। 01 वार्ड में कार्य पूर्ण होने वाला है 250 घरों को आच्छादित किया गया है। 06 में से 02 का पुनर्निविदा निकाला गया है। 13 वार्ड में PHED का पाईपलाईन है जो काम नहीं कर रहा है।
8. बलिया– 9 वार्ड का प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है। शेष सभी वार्ड का एक साथ निविदा निकाल दिया जाएगा। मानक प्राक्कलन के अनुसार ओभर हेड टैंक के साथ निविदा निकाला जाय।
9. बड़हिया– 24 वार्ड में से किसी का निविदा नहीं निकाला गया है। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा 40 वर्ष पूर्व पाईप बिछाया गया है। बोर्ड द्वारा नए सिरे से कार्य करने हेतु कहा जा रहा था। 21 वार्ड का प्राक्कलन तैयार कर लिया गया है। एक सप्ताह में शेष बचे हुए वार्डों का प्राक्कलन तैयार कर लिया जाए। जहॉ समस्या है वहॉ बिहार राज्य जल पर्षद से संपर्क किया जाए। आवश्यकता पड़ने पर कन्सल्टेंट से सहायता ली जा सकती है। यदि पुराने बोरिंग से काम चल सकता है तो उससे कनेक्शन लिया जा सकता है।
10. शेरघाटी– प्रगति शून्य है। 11 वार्ड का 17 योजना का प्राक्कलन पास कराया जाना है। कनीय अभियंता से तैयार किया गया प्राक्कलन सक्षमता के अन्तर्गत डुडा के कार्यपालक अभियंता से स्वीकृत करा कर निविदा की कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।
11. कस्बा– 17 वार्ड में से 02 वार्ड का कार्यादेश निर्गत कर दिया गया है। 05 वार्ड का प्राक्कलन तैयार किया गया है।

12. फारबीसगंज– 25 वार्ड में से 08 वार्ड का निविदा निकाला गया है। 02 वार्ड का agreement हो गया है। 06 वार्ड में पुनर्निविदा निकाला जाएगा। 17 वार्ड का प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है।
13. ठाकुरगंज– 12 वार्ड में से 08 वार्ड का निविदा निकाला गया है। 04 वार्ड का BRJP में BOQ स्वीकृति के लिए गया है।
14. बरौली– 21 वार्ड में से 06 वार्ड का निकाला गया है। 05 वार्ड का कार्यादेश दिया गया है। 11 वार्ड का निविदा के लिए भेजा जा रहा है तथा 04 वार्ड का प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है।
15. बॉका– 22 वार्ड में से 02 वार्ड में कार्य प्रारंभ है। 105 घरों में कनेक्शन दिया गया है। 20 वार्ड में 07 वार्ड का निविदा निकाला जा रहा है। शेष वार्ड PHED के पुराने जलापूर्ति योजना से गृह जल संयोजन करना है।
16. नवीनगर– प्रगति शून्य है। प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है। BOQ तैयार किया जाना है।
17. रफीगंज– 16 में 06 वार्ड का निविदा निकाला गया है। 03 वार्ड में कार्य प्रारंभ है। 03 वार्ड की पुनर्निविदा निकाला जाना है। एक निश्चित गहराई में चट्टान आ जाता है जिसके कारण पर्याप्त पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। पर्याप्त पानी के लिए चट्टान काटकर बोरिंग किया जाना है। निदेश दिया गया कि वे BRJP के अभियंता से संपर्क कर आवश्यक कार्रवाई करें।
18. मखदुमपुर– 09 वार्ड में निकाय द्वारा कार्य किया जा रहा है। अब तक 781 घरों को कनेक्शन दिया गया है।
19. बनमनखी– सभी वार्डों का निविदा निकाला जा चुका है। 10 वार्ड में कार्य प्रारंभ है। अब तक 991 घरों को कनेक्शन दिया गया है। 07 वार्ड में एग्रीमेंट किया जाना है।
20. बारसोई– नया नगर निकाय है। अभी सर्वे का काम किया जा रहा है। सर्वे के अनुसार प्राक्कलन तैयार करने का निदेश दिया गया।
21. मनिहारी– 15 में से 13 वार्ड का निविदा निकाला गया है। 04 वार्ड में कार्य जारी है। 09 वार्ड का पुनर्निविदा निकाला जाना है। 02 वार्ड में PHED द्वारा कार्य किया जा रहा है।

बैठक में जानकारी दी गई कि पानी की अबाध आपूर्ति के लिए एक निश्चित उँचाई पर टंकी का निर्माण कराए जाने के संबंध में मॉडल प्राक्कलन विभाग द्वारा नगर निकायों को उपलब्ध कराया गया है। कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि नवीनगर में घरों का दूर–दूर में अवस्थित रहने के कारण एक योजना में 100 घर ही आच्छादित होना संभव है। निदेश दिया गया कि इसके लिए 250 घरों 05 एचपी मोटर की योजना लिया जाए। परन्तु नेटवर्क वास्तविकता के आधार पर रखी जाय। बैठक में कतिपय कार्यपालक पदाधिकारीगण द्वारा PHED द्वारा House Connection किये जाने के संबंध में पृच्छा की गई। स्पष्ट निदेश दिया

गया कि लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण द्वारा आवंटित कार्य ही किया जाएगा यदि योजना में निर्धारित कार्य से अधिक काम कराना हो तो निकाय द्वारा पूरा किया जाएगा। कार्यपालक पदाधिकारी, अमरपुर द्वारा रिवर्स बोरिंग के संबंध में पृच्छा किया गया। निदेश दिया गया कि BRJP के अभियंता श्री संतोष कुमार से संपर्क कर लिया जाय। पाइप के गुणवत्ता जॉच के संबंध में निदेश दिया गया कि CIPET बिहार से ही गुणवत्ता संबंधी जॉच कराया जाय एवं दूसरे राज्य के CIPET से गुणवत्ता की जॉच नहीं कराया जाय। स्पष्ट निदेश दिया गया कि सभी नगर निकाय अपने अधीन सभी वार्डों में कार्य प्रारंभ कर अधिक–से–अधिक घरों में कनेक्शन करने का प्रयास करें। अब तक मात्र शहरी क्षेत्र में लगभग 1,09,000 घरों में ही कनेक्शन दिया गया है जबकि इस वर्ष का लक्ष्य 2.55 लाख घर का है। अधीक्षण अभियंता बिहार राज्य जल पर्षद को निदेश दिया गया कि नगर निकायों के निविदा आदि से संबंधित मामलों का निष्पादन एक सप्ताह में करना सुनिश्चित करें। नगर निकाय का भी इस संबंध में लगातार BRJP से संपर्क स्थापित करने का निदेश दिया गया। बिहार शरीफ नगर निगम में स्टैण्ड पोस्ट के निर्माण हेतु BRJP से मन्तव्य मॉगा गया है। इस संबंध में नगर आयुक्त, बिहार शरीफ नगर निगम तत्काल निविदा निकाल लें। कार्यादेश विभागीय निदेश के उपरांत निर्गत करेंगे।

4/4/18 **(अनुपालन– कार्यपालक पदाधिकारी/नोडल पदाधिकारी।)**

<u>नगर सरकार भवन/प्रशासनिक भवन</u> – निकायवार प्रगति समीक्षा निम्नवत है:–

1. जहानाबाद– ग्राउंड फ्लोर बन गया है। आगे कार्य किया जा रहा है।
2. सहरसा– मामला उच्च न्यायालय में लंबित था। न्यायादेश हो गया है। निविदा प्रकाशित हो गया है कार्यादेश शीघ्र दे दिया जाएगा।
3. फुलवारीशरीफ– राशि वापस कर दी गई है।
4. सुलतानगंज– निविदा निकाला गया है।
5. खगौल– बिजली–पानी की व्यवस्था का कार्य किया जाना है।
6. हवेली खड़गपुर– जमीन मिल गया है।
7. मेहसी– ले आउट हो गया है।
8. हिसुआ– फर्श का काम बाकी है।
9. साहेबगंज– पूर्ण हो गया है। शीघ्र शिफ्ट किया जाय।
10. पकरीदयाल– बिजली– पानी की व्यवस्था का कार्य किया जाना है।

(अनुपालन– कार्यपालक पदाधिकारी।)

सम्राट अशोक भवन – निकायवार समीक्षा निम्नवत हैः–

1. कटिहार– राशि वापस कर दी गई है। अब जमीन उपलब्ध हो गया है। निविदा प्रकाशित किया जा रहा है।
2. दरभंगा– राशि वापस कर दी गई है। जमीन उपलब्ध होने पर मॉगा जाएगा।
3. भागलपुर– कार्यादेश निर्गत कर दिया गया है।
4. मुंगेर– CS के लिए विभाग में भेजा गया है।
5. बिहार शरीफ– निविदा निकाला जा रहा है।
6. गया– अतिक्रमित जमीन है। खाली कराने की कार्रवाई की जा रही है।
7. बेतिया– सिंगल टेंडर हो गया है। पुनर्निविदा निकाला जाना है।
8. अररिया– काम चल रहा है।
9. खगड़िया– निविदा फाइनल नहीं हुआ है।
10. मधुबनी– निविदा की प्रक्रिया में है।
11. समस्तीपुर– NIT के लिए इंजीनियरिंग सेल में लंबित है।
12. हाजीपुर– विभाग में लंबित है।
13. अरवल– निविदा फाइनल हो गया है।
14. औरंगाबाद– TS के लिए विभाग में भेजा गया है।
15. भभुआ– एग्रीमेंट किया जा रहा है।
16. लखीसराय– TS के लिए विभाग में है।
17. शेखपुरा– बिजली–पानी का काम चल रहा है।
18. सुलतानगंज– पुनर्निविदा प्रकाशित कर दिया गया है।
19. मसौढ़ी– बिजली–पानी की व्यवस्था करना है। राशि की कमी है। डिमांड किया गया है।
20. फुलवारी शरीफ– जमीन उपलब्ध हो गया है।

(अनुपालन– कार्यपालक पदाधिकारी।)

बजट– विगत सितम्बर–अक्टूबर माह से ही **बजट** बोर्ड से स्वीकृत कराकर विभाग को उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया जा रहा है परन्तु अभी तक कुल 25 नगर निकाय का बजट प्राप्त हुआ है। शेष निकायों से अप्राप्त है। बजट भेजने से पूर्व उसके साथ संलग्न किये जाने वाले कागजात (चेकलिस्ट के अनुसार)/दिये गये निदेश का अनुपालन करना सुनिश्चित किया जाय। अपूर्ण भेजे गये बजट को विभाग से वापस कर दिया जा रहा है। सभी नगर निकायों से बजट प्राप्त करने के लिए विभाग स्तर पर इस माह के अंतिम पखवारे 23–24 मार्च, 17 को कैम्प लगाकर सभी नगर निकायों से बजट प्राप्त करने संबंधी कार्रवाई की जाय।

✓ **(अनुपालन– कार्यपालक पदाधिकारी/ निदेशक, नगरपालिका प्रशासन।)**

होल्डिंग टैक्स :- वित्तीय वर्ष 2017–18 समाप्त होने जा रहा है। नगर निकायों द्वारा होल्डिंग टैक्स का संग्रहण बहुत ही कम हो रहा है। जिन निकायों में सरकारी भवनों पर बकाया है वहॉ का विस्तृत प्रतिवेदन विभाग को भेजा जाय। निकायवार होल्डींग टैक्स वसूली का प्रतिशत इस प्रकार हैः–

क.सं.	निकाय का नाम	प्रतिशत वसूली	अभ्युक्ति
1.	बेगुसराय	29	
2.	बिहार शरीफ	56	नोटिस दिया गया है।
3.	कटिहार	53	
4.	मुंगेर	45	सरकारी भवन पर बकाया है।
5.	मुजफ्फरपुर	46	
6.	पटना	38	
7.	बख्तियारपुर	24	
8.	बेनीपुर	––	डिमांड बन गया है।
9.	बेतिया	24	शिविर लगाया जाय।
10.	बक्सर	41	
11	हिलसा	34	इस माह में 50 प्रतिशत हो जाएगा।
12.	जमालपुर	19	
13.	जमुई	32	इस माह में 70 प्रतिशत हो जाएगा।
14.	जहानाबाद	36	स्टाफ की कमी है।
15.	मसोढ़ी	22	शिविर लगाया जाय।
16.	मोकामा	18	दूसरा नोटिस दिया गया है। अग्रेतर कार्रवाई किया जाय।
17.	मोतिहारी	41	60 प्रतिशत हो जाएगा
18.	सहरसा	41	स्टाफ की कमी है।
19.	सीतामढ़ी	49	
20.	अरेराज	15	24 प्रतिशत हो जाएगा
21.	बखरी	29	
22.	बड़हिया	––	पिछले माह की बोर्ड की बैठक में नए दर पर वसूली करने की अनुमति दी गई है।
23.	विक्रमगंज	15	
24.	एकमा बाजार	13	डिमांड पूरा नहीं हुआ

			है।
25.	घोघरडीहा	––	एसेसमेंट हो गया है। 6.00 लाख डिमांड बना है।
26.	कोईलवर	20	22 प्रतिशत हो जाएगा
27.	महुआ	14	नया डिमांड है।
28.	मखदुमपुर	7	19 लाख डिमांड है।
29.	मनिहारी	12	
30.	रोसड़ा	13	
31.	पकड़ी दयाल	21	
32.	विक्रम	27	
33.	रामनगर		हरिनगर चीनी मिल पर 36 लाख बकाया है। बैंक अकाउंट अटैच कर लें तथा विभाग को अग्रेतर कार्रवाई हेतु पत्र भेजा जाय।

सरकारी भवनों पर बकाया होल्डिंग टैक्स की वसूली से संबंधित कार्रवाई वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से ही प्रारंभ कर दी जाय। सभी निकाय सरकारी भवनों का विभागवार, बिल्डिंगवार बकाया के साथ विस्तृत प्रतिवेदन विभाग को भेजें ताकि विभाग से सभी संबंधित विभाग को पत्र लिखा जा सके। इस संबंध में विभाग से एक प्रपत्र तैयार कर सभी निकाय को उपलबध करा दिया जाय और प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में डाटावेस तैयार किया जाय। 50 प्रतिशत से कम होल्डिंग टैक्स वसूल करने वाले निकाय को किसी प्रकार का grant नहीं दिया जाएगा।

विभिन्न टेलिफोन/केबल कंपनियों द्वारा भूमिगत केबल बिछाने के उपरांत निकाय को राजस्व नहीं दिया जाता है। बोर्ड से दर पारित कराकर वसूली की कार्रवाई की जाय। इस संबंध में प्रति फीट दर निर्धारित कर विभागीय व्हाट्स अप पर प्रेषित किया जाय। बी.एस.एन.एल. से संबंधित पत्र का अध्ययन कर अग्रेतर कार्रवाई की जाय।

(अनुपालन– निदेशक, नगरपालिका प्रशासन/संबंधित कार्यपालक पदाधिकारी।)

<u>ऑडिट रिपोर्ट</u>– पटना–6, आरा–5 (महालेखाकार को भेज दिया गया है), बेगुसराय–4, भागलपुर–4, गया–2, मसोढ़ी–4, औरंगाबाद–4, डेहरी डालमियानगर– 4, बक्सर–6 (इस माह में 03 मामलों का निष्पादन कर दिया जाएगा), खगौल–5, छपरा–4, बगहा–3, बेतिया–5, सीतामढ़ी–3, सहरसा–3, मधुबनी–6, जमुई–5,मधुबनी–3, मोतिहारी–4, सासाराम–3, अमरपुर–3,

झाझा–3, हवेली खड़गपुर–4, मनिहारी–3, चकिया–3, सुगौली–3, ढाका–4, सोनपुर–4, मोतिपुर–5, रफीगंज–4, पीरो–4, बरबीघा–4, कोईलवर–4, मामला लंबित है। लंबित मामलों की सूची विभागीय वेवसाईट पर भी उपलब्ध है। लंबित मामलों का निष्पादन शीघ्र कराया जाय।

(अनुपालन– कार्यपालक पदाधिकारी।)

Internal Audit – लगभग सभी नगर निकायों Internal Audit वर्ष 2015 तक करा लिया गया है। मुजफ्फरपुर से इस संबंध में प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ जिसे शीघ्र भिजवाया जाय। साथ ही वर्ष 2016–17 का Internal Audit कराकर प्रतिवेदन विभाग में भेजना सुनिश्चित किया जाय।

(अनुपालन– कार्यपालक पदाधिकारी।)

ए.सी.–डी.सी. एवं उपयोगिता प्रमाण पत्रः– सभी नगर निकायों द्वारा अपने–अपने निकाय में लंबित ए.सी.–डी.सी. एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र का निष्पादन शीघ्र कराया जाय।

निकायवार समीक्षा निम्नवत हैः–

क्र.सं.	नगर निकाय का नाम	लंबित राशि (रुपयों में)		अभ्युक्ति
		उपयोगिता	अनिकासी	
1.	आरा	9.59 करोड़		बुडको और बिहार राज्य जल पर्षद के पास लंबित है।
2.	बेगुसराय	7.89 करोड़	2.61 करोड़	
3.	भागलपुर	4.78 करोड़		
4.	बिहार शरीफ	1.37 करोड़		
5.	छपरा	8.58 करोड़		
6.	गया		1.32 करोड़	
7.	मुंगेर	4.56 करोड़		
8.	मुजफ्फरपुर	8.53 करोड़		
9.	पटना	74.34 करोड़		
10.	बगहा		3.81 करोड़	शीघ्र जमा कराया जाय।
11.	बॉका	3.96 करोड़	29.50 लाख	20 प्वाईंट में प्रतिवेदन भेजें।
12.	बेनीपुर	2.23 करोड़		
13.	बेतिया	7.47 करोड़	24.00 लाख	
14.	गोपालगंज		50.00 लाख	
15.	जमालपुर	3.85 करोड़		

16.	मधेपुरा	2.97 करोड़		
17.	समस्तीपुर		50.00 लाख	जमा हो गया है।
18.	सासाराम	2.37 करोड़	50.00 लाख	
19.	सीतामढ़ी	1.01 करोड़		
20.	सिवान	10.28 करोड़	1.86 करोड़	
21.	अमरपुर	1.16 करोड़		
22.	अरेराज		48.00 लाख	
23.	बैरगनिया		32.00 लाख	
24.	बलिया		37.00 लाख	
25.	बखरी	3.07 करोड़		
26.	बनमनखी	1.05 करोड़		
27.	चकिया	1.65 करोड़		
28.	ढाका	1.92 करोड़		
29.	दीघवाड़ा	1.82 करोड़		
30.	हवेली खड़गपुर	5.58 करोड़		
31.	ज्नकपुर रोड	1.08 करोड़	61.00 लाख	
32.	जय नगर		26.00 लाख	
33.	झाझा	3.29 करोड़		
34.	झंझारपुर	3.17 करोड़	49.68 लाख	
35.	महाराजगंज		33.85 लाख	
36.	मरौढ़ा		4.58 करोड़	20 प्वाईटस में प्रतिवेदन भेजें।
37.	मीरगंज	1.52 करोड़	33.00 लाख	
38.	नवीनगर	1.75 करोड़		
39.	पकरीदयाल	1.06 करोड़		
40.	परसाबाजार	1.84 करोड़		
41.	रामनगर	1.50 करोड़	36.00 लाख	
42.	रिविलगंज	1.81 करोड़	37.00 लाख	
43.	रोसड़ा	1.97 करोड़		
44.	शेरघाटी	3.13 करोड़	81.00 लाख	
45.	सिमरी बख्तियारपुर	2.62 करोड़	49.00 लाख	
46.	बिक्रम	2.36 करोड़		

(अनुपालन– कार्यपालक पदाधिकारी।)

लोक लेखाः– वर्ष 2000–2001 की कंडिका 6.9 से संबंधित अनुपालन गया, बिहार शरीफ, कटिहार, पटना नगर निगम, भभुआ, शेखपुरा, जमुई, अररिया, खगड़िया, मधेपुरा और औरंगाबाद

द्वारा नहीं किया गया है। अनुपालन प्रतिवेदन महालेखाकर को शीघ्र भेजा जाय तथा उसकी एक प्रति विभाग में भेजा जाय।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी। 5/4/2018

(चैतन्य प्रसाद)
प्रधान सचिव
नगर विकास एवं आवास विभाग
बिहार, पटना।

ज्ञापांक 2039 / न0वि0एवंआ0 विभाग / पटना, दिनांक 06/04/2018
प्रतिलिपि– माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित। 5/4/2018

प्रधान सचिव

ज्ञापांक 2039 / न0वि0एवंआ0 विभाग / पटना, दिनांक 06/04/2018
प्रतिलिपि– सभी नगर निगम/नगर परिषद/नगर पंचायतों के नगर आयुक्त/ कार्यपालक पदाधिकारी / विभाग के सभी संबंधित पदाधिकारी/ नोडल पदाधिकारी/ प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/आई0टी0 मैनेजर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। 5/4/2018

प्रधान सचिव।